



संदेश

भारत की संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा का दर्जा दिया और तभी से हम सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ाते रहने के संकल्प के रूप में 14 सितम्बर को 'हिंदी दिवस' मनाते हैं।


देश की अधिकांश जनता द्वारा बोली और समझी जाने वाली हिंदी देश की सर्वाधिक संभावनाशील संपर्क-भाषा के तौर पर उदीयमान हो रही है। ऐसा मुख्यतः इसलिए सम्भव हुआ है क्योंकि देश की सभी भाषाओं को सम्मान देते हुए हिंदी ने उनसे घनिष्ठ संबंध बनाया है, उनकी सुगंध को अपने में आत्मसात किया है और राष्ट्र के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही, हिंदी हमारे राष्ट्रीय चिंतन और भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में भी पूर्णतया सफल रही है।

सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने से सरकार और जनता के बीच परस्पर विश्वास और संवाद बढ़ता है, जो लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाए रखने में सहायक है। मेरा विचार है कि हिंदी में काम करना अत्यंत सुगम है, विशेषकर यदि इसका प्रयोग मूल लेखन में हो और अनुवाद का सहारा कम से कम लिया जाए। हम सभी हिंदी के प्रयोग में आने वाली समस्याओं व हिचकिचाहट के कारणों का पता लगाएं, उन्हें दूर करें और कार्यालयों में इसके अनुकूल वातावरण बनाएं। टिप्पणियाँ तथा पत्रादि के मसौदों में हम आसानी से समझ में आने वाली सरल एवं सहज हिंदी भाषा का प्रयोग करें। बैठकों, चर्चाओं आदि में हिंदी में बातचीत किए जाने को तरजीह दी जाए। स्वयं अधिकारी हिंदी को अपनाकर अपने सहयोगियों के लिए मिसाल पेश कर सकते हैं।

आइये, आज हम इस दिशा में अपनी उपलब्धियों और प्रयासों पर पुनः दृष्टिपात करें और एकजुट होकर हिंदी के विकास के लिए प्रयत्न करने का संकल्प लें।

हिंदी दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

14 सितंबर, 2012


 (अजित सेठ)